

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई 2010—आषाढ़ 22, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. बी-14-7-2009-चौदह-2.—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त आदेश के खण्ड 27 (ए) एवं 27 (बी) में निहित अर्हताएं रखने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को जिन्हें उनके सामने दर्शाए गए क्षेत्र पर अधिकारिता होगी, क्रमशः उर्वरक निरीक्षक एवं जैव उर्वरक निरीक्षक/कार्बनिक उर्वरक निरीक्षक नियुक्त करती है:—

अनु. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	अधिकारिता क्षेत्र (3)
1	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल में पदस्थ समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
2	संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के कार्यालय में पदस्थ समस्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विषय वस्तु विशेषज्ञ/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.	अपना-अपना संभाग
3	जिला के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के कार्यालय में पदस्थ समस्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विषय वस्तु विशेषज्ञ/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी.	अपना-अपना जिला
4	अनुविभागीय अधिकारी कृषि के कार्यालय में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी कृषि तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ.	अपना-अपना उप संभाग
5	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.	अपना-अपना विकासखण्ड
6	सर्किल स्तर पर पदस्थ कृषि विकास अधिकारी (विस्तार).	अपना-अपना विकासखण्ड का क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विजय पंडित, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. बी-14-7-2009-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 13 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव.

Bhopal, the 13th July 2010

No. B-14-7-2009-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by clause 27 of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government hereby appoints the following officers, possessing the qualifications, prescribed in clause 27 (A) and 27 (B) of the said order, as Fertilizer Inspectors & Bio-fertilizer Inspector/Organic Fertilizer Inspector Respectively, who shall have jurisdiction over the areas shown below:—

S. No. (1)	Name of Officer (2)	Jurisdiction (3)
1	All Deputy Directors, Farmer Welfare and Agriculture Development/ Assistant Directors, Farmer Welfare and Agriculture Development/ Senior Agriculture Development Officers posted in the Directorate of Farmer Welfare and Agriculture Development Madhya Pradesh, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh
2	All Assistant Directors, Farmer Welfare and Agriculture Development/ Subject Matter Specialists/Senior Agriculture Development Officers posted in the Office of the Joint Directors, Farmer Welfare and Agriculture Development of the Division.	Respective Division
3	All Assistant Directors, Farmer Welfare and Agriculture Development/ Subject Matter Specialists/Senior Agriculture Development Officers/ Agriculture Development Officers posted in the Office of the Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development in the District.	Respective District
4	Sub-Divisional Officers Agriculture and Subject Matter Specialists posted in the office of Sub-Divisional Officer Agriculture.	Respective Sub-Division
5	Senior Agriculture Development Officers posted at Block level.	Respective Block
6	Agriculture Development Officers (Extn.) posted at ADO circle level.	Respective area of block

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY PANDIT, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. बी-14-7-2009-चौदह-2.—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 26 एवं (26 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा:—

- (1) संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (खाद एवं उर्वरक) संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म. प्र. भोपाल को :—
- (क) विनिर्माताओं, पूल हैंडलिंग अभिकरणों, आयातकों, दानेदार एन.पी.के. मिश्रण, विशेष एन.पी.के. मिश्रण, सूक्ष्म तत्व उर्वरक, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक उर्वरकों के विनिर्माताओं द्वारा रासायनिक उर्वरकों, दानेदार एन.पी.के. मिश्रण, विशेष एन.पी.के. मिश्रण सूक्ष्म तत्व उर्वरक, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक उर्वरकों का विक्रय करने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु संपूर्ण राज्य के लिए अधिसूचित प्राधिकारी और
- (ख) दानेदार, एन.पी.के. मिश्रण, उर्वरकों, विशेष एन.पी.के. मिश्रण, उर्वरकों, सूक्ष्म तत्व उर्वरक, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक उर्वरकों के विनिर्माण करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.
- (2) जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर व्यापारियों द्वारा रासायनिक उर्वरकों, दानेदार एन.पी.के. मिश्रण, विशेष एन.पी.के. मिश्रण सूक्ष्म तत्व उर्वरक, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक उर्वरकों का विक्रय करने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु अधिसूचित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. बी-14-7-2009-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 13 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव.

Bhopal, the 13th July 2010

No. B-14-7-2009-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by clause 26 & (26 A) of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and in super-session of all previous notification issued in this behalf, the State Government hereby appoints :—

1. The Joint Director, Farmer Welfare and Agriculture Development (Manure and Fertilizer) of the Directorate of Farmer Welfare and Agriculture Development for the whole of the state for:—
 - (a) Notified Authority for issuing authorization letter for sale of micro nutrient/micro nutrient mixture, Granulated N.P.K. mixture, Bio fertilizer organic fertilizer mixture and special mixture to fertilizer by manufactures, poll handling agency's, importee and manufacturers of Fertilizer Mixture and
 - (b) Registering-Authority for issuing Registration certificate to manufacturers of Granulated N.P.K. mixture fertilizer, special N.P.K. mixture fertilizer, micro nutrient mixture, Bio-fertilizer mixture, and organic fertilizer and
2. The Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development appointed as Notified Authority for issuing authorization letter for sale of micro nutrient fertilizer chemical fertilizer, Bio-fertilizer and organic fertilizer by dealers within their respective jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY PANDIT, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. बी-14-7-2009-चौदह-2.—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के नाम (1) में वर्णित अधिकारियों को उनके कॉलम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है:—

सारणी

अनु. क्र. (1)	उस अधिकारी का नाम जो अपीलों की सुनवाई करेगा (2)	उस अधिकारी का नाम जिसके आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई होगी (3)
1	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/अपर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म. प्र., भोपाल.	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (खाद एवं उर्वरक) संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म. प्र., भोपाल.
2	संबंधित संभागों के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास.	संबंधित जिलों के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. बी-14-7-2009-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 13 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव.

Bhopal, the 13th July 2010

No. B-14-7-2009-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause 32 of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and in supersession of all previous notification issued in this behalf, the State Government hereby specifies the officers mentioned in column No. (1) of the Table below as the authority to hear appeals against the order of the authority mentioned corresponding entry of column (2) thereof:—

TABLE

S. No. (1)	Name of Officer who shall hear appeals (2)	Name of authority against whose order appeals shall be heard (3)
1	Director, Farmer Welfare and Agriculture Development/ Additional Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Madhya Pradesh, Bhopal.	Joint Director, Farmer Welfare and Agriculture Development (Manures & Fertilizers) Directorate of Farmer Welfare and Agriculture Development Madhya Pradesh, Bhopal.
2	Joint Director, Farmer Welfare and Agriculture Development of the respective division.	Dy. Director, Farmer Welfare and Agriculture Development of the respective district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY PANDIT, Dy. Secy.